

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम  
एवं जिला कलक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 111/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Bhanwari Bai Add. 213 Mana kua gali, Ekalingpura, Manwakhera,  
Girwa, Udaipur

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी



प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329382802506846 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना से भिन्न सूचना उपलब्ध करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6986869275 दिनांक 22.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/111/24/991-92 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./सूअअ/2005/2024/2031 दिनांक 09.09.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 2009 दिनांक 05.09.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस कार्यालय से वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना शेष नहीं है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार किया जाकर प्रकरण को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई है वह सूचना प्रेषित नहीं की जाकर भिन्न सूचना प्रेषित की गई है। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.09.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12.09.2024 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना नहीं दी जाकर भिन्न सूचना प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार जाती है।

  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपील अधिकारी  
उदयपुर (राज.)

प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी प्रेषित की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो उसे वांछित रिकार्ड का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय समय में उपस्थित होने एवं चाही गई वांछित सूचना का अवलोकन करने हेतु लिखा जावे एवं अवलोकन उपरान्त चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि.  
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर